

विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108



OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

Ph.EPABX - 23062800, 23063802 23063803 FAX - (91-11) 23062215, 23061726, 23061068, e-mail - ccsmehq@nb.nic.in

No.4/3(5)/2012-MSME Pol

November 27, 2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Facilitating identification of Micro and Small Enterprise (MSE) Suppliers (as defined Section 2(n) of the MSMED Act, 2006) for implementation of Notification no. G.SR.719(E) dated 16 November, 2007 issued by Ministry of Corporate Affairs and Notification no. S.O.961 (E) dated 13 April, 2009 issued by CBDT in accordance with the provisions of Section 22 & 23 of MSMED Act, 2006 – suggestion to MSEs for printing EM acknowledgement no. On their letterhead/bill/books/vouchers, etc.

In accordance with the Section 22 of Micro, Small and Medium Enterprise Development Act (MSMED), 2006 a buyer has to specify unpaid amount with interest in the annual statement of accounts. The amount of interest payable or paid by any buyer, is not to be allowed as deduction from income for the purpose of computation of income tax, as per the provisions in Section 23 in the said Act.

2. To ensure that a clear picture regarding the specific unpaid amount with interest to micro or small enterprises is reflected in the annual account statements of the buyers, the Ministry of Corporate Affairs has issued notification No.GSR-719(E) dated 16th November 2007 (copy at Annex.- I).

3. Similarly, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) issued Notification no.S.O.961(E) dated 13 April, 2009 (Copy enclosed), which provides for a new item, 17A after item no.17 in form no.3CD of the Income-tax Rules 1962. The new item 17A reads as follows:

“amount of interest inadmissible under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006”.


4. However, apprehensions have been expressed that the absence of the identification of MSE Supplier on its supply order/invoices and other documents, may leave a scope for the buyer to omit the MSE status of the supplier in their annual statement of accounts. The auditors while auditing the annual accounts may not be able to deduct such omissions from the available documents because of non-availability of any identification for micro and small enterprise status. In terms of the provisions of MSMED Act, 2006, the MSE supplier is defined as under:

“As per Section 2(n) of the MSMED Act 2006 the “supplier” means a micro or small enterprise, which has filed a memorandum with the authority referred to in sub-section (1) of section 8.....”

5. The matter has been examined. It is considered advisable that the Micro and Small Enterprises should mention/get printed on their letter head, supply order sheets, invoices, bills and other relevant documents, the Entrepreneurs Memorandum (EM) Number, {as allotted after filling of the said Memorandum (EM Part II), by the General Manager, District Industries Centre (DIC) or a competent authority, as notified by their respective state Government /UT administration}, so that there always remains an identification of being a MSE supplier.

6. This may please be brought to the knowledge of micro and small enterprises of your Jurisdiction for creating awareness and sensitisation on this issue so that the provisions of Section 22 and Section 23 of the MSMED Act, 2006 are implemented in letter and spirit.

Yours faithfully,



(P.K. Sinha)

Deputy Director (Policy)

Copy – for wide publicity to:

1. Director, Industry / Micro & Small Enterprise/ Medium Enterprise / Micro, Small and Medium Enterprise / Government of

2. Director, MSMEDIs.

3. The President, All Micro and Small Enterprise (MSE) Associations.

विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)



OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आज़ाद रोड,
नई दिल्ली-110 108

Ph:EPABX - 23063800, 23063802, 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061068, e-mail - dcms-mehq@nic.n

सं 4/3(5)/2012एमएसएमई-नीति

27 नवंबर, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 22 एवं 23 के प्रावधानों के अनुसरण में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जी.एसआर.719(ई), दिनांक 16 नवंबर, 2007 एवं सीबीडीटी द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. एस.ओ.961(ई) दिनांक 13 अप्रैल, 2009 के कार्यान्वयन के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) आपूर्तिकर्ताओं (जैसे कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 2 (द) में परिभाषित किया गया है) की पहचान को सुगम बनाना-सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उनके लेटर हेड/बिलों/बुक/वाउचर आदि पर ईएम पावती का प्रिंट करने हेतु सुझाव

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसरण में एक क्रेता को अपने वार्षिक लेखा विवरण में ब्याज सहित भुगतान न की गई राशि को निर्दिष्ट करना होता है। उक्त अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी क्रेता को भुगतान किए जाने योग्य अथवा भुगतान किए गए ब्याज की राशि को, आयकर की गणना के उद्देश्य के लिए, आय से कटौती करने की अनुमति नहीं है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म अथवा लघु उद्यमों को ब्याज सहित भुगतान न की गई विशिष्ट राशि की स्पष्ट झलक क्रेता के वार्षिक लेखा विवरण में मिल सके, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 16 नवंबर, 2007 को अधिसूचना सं. जीएसआर-719(ई) (प्रति अनुबंध-1) जारी की है।

3. इसी प्रकार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दिनांक 13 अप्रैल, 2009 को अधिसूचना सं. एस.ओ.961(ई) (प्रति संलग्न) जारी की है जिसमें आयकर नियम 1962 के फार्म संख्या 3सीडी में मद 17 के बाद एक नई मद, 17ए का प्रावधान किया गया है। नई मद 17ए को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:


“सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत अस्वीकार्य ब्याज की राशि”।

4. तथापि, इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि आपूर्ति आदेश/बीजकों और अन्य दस्तावेजों पर एमएसई आपूर्तिकर्ता की पहचान की अनुपस्थिति में क्रेता के लिए अपने वार्षिक लेखा विवरणों में आपूर्तिकर्ता के एमएसई दर्ज को छोड़ देने की गुंजाइश रह जाती है। वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा करते समय लेखाकार के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम के दर्ज के लिए किसी भी पहचान की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध दस्तावेजों से ऐसी चूक को पकड़ पाना संभव नहीं हो पाता है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार एमएसई आपूर्तिकर्ता को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

“ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 2(ढ) के अनुसार “आपूर्तिकर्ता” का अभिप्राय सूक्ष्म या लघु उद्यम से है जिसने धारा 8 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास ज्ञापन दायर किया है.... ”

5. इस मामले की जांच की गई है। यह सुझाव दिया जाता है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपने पत्र शीर्ष, आपूर्ति आदेश पत्र, बीजकों, बिलों और अन्य संबंधित दस्तावेजों पर उद्यमी ज्ञापन (ईएम) संख्या {जोकि उक्त ज्ञापन(ईएम पार्ट II) दायर करने के बाद उनके संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित, महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित की गई हो} को उल्लेख करना/मुद्रित कराना चाहिए ताकि एमएसई आपूर्तिकर्ता होने की हमेशा एक पहचान रहे।

6. कृपया इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों की जानकारी में लाया जाए ताकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 22 और धारा 23 के उपबंधों का, इसके सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए, कार्यान्वयन किया जा सके।

भवदीय

(पी.के.सिन्हा)
उपनिदेशक (नीति)

प्रतिलिपि: व्यापक प्रसार हेतु

1. निदेशक, उद्योग/सूक्ष्म एवं लघु उद्योग/ मध्यम उद्यम/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम/ -----
----- सरकार
2. निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान
3. अध्यक्ष, सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम(एमएसई) संघ



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2007/कार्तिक 25, 1929

No. 505]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2007/KARTIKA 25, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 719(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 641 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची 6 में निम्नलिखित और परिवर्तन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अनुसूची में, “भाग 1—तुलनपत्र का प्ररूप के अधीन शीर्ष-क उध्वाधर प्ररूप” में,—

(1) “वे हिदायतें जिनके अनुसार दायित्व निश्चित किए जाने हैं” से संबंधित पहले स्तंभ में “चालू दायित्व और उपबंधित रकम” उपशीर्ष के सामने आने वाले दूसरे पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“लेखों के टिप्पण के अधीन निम्नलिखित प्रकटित किया जाएगा :—

(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अन्त में मूल रकम और उस पर देय ब्याज (पृथक रूप से दर्शित की जाए) शेष किसी प्रदायकर्ता को असंदत्त ;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे प्रदायकर्ता को संदाय की गई रकम के साथ क्रेता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम ;

(ग) संदाय करने में हुए विलंब की अवधि के लिए देय और संदेय ब्याज की रकम (जिसका संदाय कर दिया गया है किंतु वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे है) किंतु उसका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;

(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उद्भूत ब्याज की रकम और शेष असंदत्त; और

(ङ) पश्चात्पूर्व वर्षों में भी शेष देय और संदेय और ब्याज की रकम, उस तारीख तक जब यथा पूर्वोक्त देय ब्याज का लघु उद्यमी को वास्तव में संदाय कर दिया गया हो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के रूप में मूक के प्रयोजन के लिए ।

(2) “चालू दायित्व और उपबंधित रकम” शीर्षक के अधीन “दायित्व” से संबंधित दूसरे स्तंभ में, मद 2 के पश्चात् निम्नलिखित उप मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; और

(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न उधार लेने वालों के कुल बकाया देय ;

(3) तुलन पत्र तैयार करने के लिए साधारण हिदायतें को समाविष्ट करने वाली “टिप्पणी” में, मद (ध) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

(थ) ‘नियत दिन’, ‘क्रेता’, ‘उद्यम’, ‘सूक्ष्म उद्यम’, ‘लघु उद्यम’ और ‘प्रदायकर्ता’ पदों को उसी प्रकार परिभाषित किया जाएगा जैसे वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के क्रमशः खंड (ख), (घ), (ङ), (ज), (ड), (ढ) में परिभाषित हैं।

2. ये अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 1/5/2006-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— अनुसूची का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 और तत्पश्चात् संशोधन
2. सा.का.नि. सं. 414 तारीख 21-3-1961
3. सा.का.नि. सं. 78 तारीख 4-1-1963
4. सा.का.नि. सं. 129 तारीख 3-1-1968
5. सा.का.नि. सं. 1665 तारीख 9-10-1971
6. सा.का.नि. सं. 494 (अ) तारीख 30-10-1973
7. सा.का.नि. सं. 455 तारीख 27-4-1974
8. सा.का.नि. सं. 220 (अ) तारीख 12-3-1979
9. का.आ. सं. 400 (अ) तारीख 19-4-1988
10. सा.का.नि. सं. 784 (अ) तारीख 13-7-1988
11. का.आ. सं. 723 (अ) तारीख 18-9-1990
12. सा.का.नि. सं. 388 (अ) तारीख 15-5-1995
13. सा.का.नि. सं. 423 (अ) तारीख 13-9-1996
14. सा.का.नि. सं. 129 (अ) तारीख 22-2-1999
15. सा.का.नि. सं. 376 (अ) तारीख 22-5-2002
16. सा.का.नि. सं. 545 (अ) तारीख 1-8-2002
17. सा.का.नि. सं. 762 (अ) तारीख 13-11-2002 के द्वारा किए गए ।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2007

G.S.R. 719 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further alterations in Schedule VI to the said Act, namely:—

1. In the said Schedule, in "Part I Form of Balance-Sheet, under heading-A. Horizontal Form",—

- (1) in the first column relating to "Instructions in accordance with which liabilities should be made out", for the second paragraph appearing against the sub-heading "CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS", occurring in the second column, the following paragraph shall be substituted, namely:—
"The following shall be disclosed under notes to the accounts:—
- (a) the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year;
- (b) the amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;
- (c) the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day

- during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;
- (d) the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and
- (e) the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.
- (2) in the second column, relating to "Liabilities", under the heading "current liabilities and provisions", after item (2), the following sub-items shall be substituted, namely:—
- (a) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and
- (b) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises.
- (3) In the "Notes" embodying General Instructions for preparation of balance sheet, for item (q), the following shall be substituted, namely:—
- (q) the terms 'appointed day', 'buyer', 'enterprise', 'micro enterprise', 'small enterprise' and 'supplier', shall be as defined under clauses (b), (d), (e), (h), (m) and (n) respectively of Section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/5/2006/CL V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Foot note.— The Schedule was amended *vide* :

1. Companies (Amendment) Act, 1960 and subsequently amended *vide*
2. G.S.R. No. 414 dated 21-3-1961.
3. G.S.R. No. 78 dated 4-1-1963.
4. G.S.R. No. 129 dated 3-1-1968.
5. G.S.R. No. 1665 dated 9-10-1971.
6. G.S.R. No. 494(E) dated 30-10-1973.
7. G.S.R. No. 455 dated 27-4-1974.
8. G.S.R. No. 220(E) dated 12-3-1979
9. S.O. No. 400(E) dated 19-4-1988.
10. G.S.R. No. 784(E) dated 13-7-1988.
11. S.O. No. 723(E) dated 18-9-1990.
12. G.S.R. No. 388(E) dated 15-5-1995.
13. G.S.R. No. 423(E) dated 13-9-1996.
14. G.S.R. No. 129(E) dated 22-2-1999.
15. G.S.R. No. 376(E) dated 22-5-2002
16. G.S.R. 545(E) dated 1-8-2002
17. G.S.R. 762(E) dated 13-11-2002



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2009/चैत्र 23, 1931

No. 620]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2009/CHAITRA 23, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2009

आय-कर

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2009

INCOME-TAX

का.आ. 961(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (10वां संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 3गघ की मद 17 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“17क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज की रकम।”

[अधिसूचना सं. 36/2009/फा. सं. 149/86/2008-टीपीएल]

आनन्द कुमार केडिया, निदेशक (टीपीएल-III)

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. का.आ. 866(अ) तारीख 27 मार्च, 2009 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

1416 GI/2009

S.O. 961(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 read with Section 44AB of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-Tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, in Form No. 3CD, after item 17, the following shall be inserted, namely :—

“17A. Amount of interest inadmissible under Section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.”

[Notification No. 36/2009/F. No. 149/86/2008-TPL]

ANAND KUMAR KEDIA, Director (TPL-III)

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by No. S.O. 866(E), dated 27-3-2009.